

सी.एस.आई.आर-हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर (हि. प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना (5-51/Ws/15)

निम्नलिखित कार्य के लिए सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी संगठनों के लिए समान प्रकार के कार्य निष्पादित करने वाले उन ठेकेदारों से एतद द्वारा मोहरबंद निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं,

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर/निविदा पत्रों का मूल्य (निदेशक, आई.एच बी.टी, पालमपुर के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट)	समय सीमा
1	जैव विविधता के लिए के पॉलीहाउस का निर्माण ऐवम फ्लॉरिकल्चर और HATS ग्रीन हाउस/पॉलीहाउस की विशेष मरम्मत का कार्य ।	रु 22.73लाख	रु <u>45,500/-</u> रु 500/-	चार माह

निविदा जारी करने हेतु जरूरी प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियों, हि.प्र. बिक्री कर प्रमाणपत्र,, संतोषजनक कार्य समापन के प्रमाणपत्रों व अन्य प्रमाणपत्रों सहित आवेदन 27.07.15 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। उक्त वर्णित राशि (अदेय) का भुगतान करने पर पात्र ठेकेदारों को निविदा दस्तावेज 28.07.15 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय समय के दौरान जारी किए जाएँगे। 30 जून , 2015 तक क्रम संख्या 1 के लिए समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान एक/दो/तीन समरूप कार्य (पॉलीहाउस निर्माण/ मरम्मत का कार्य) प्रत्येक कमशः रु 18.18 लाख /रु 13.64 लाख / रु 9.09 लाख की न्यूनतम राशि के कार्य कर (शुरू ऐवम समाप्त) चुके ठेकेदारों को ही निविदाएं जारी की जाएंगी। दोहरी मोहरबंद निविदाएँ (निविदा दस्तावेज एवं धरोहर राशि अलग-अलग लिफाफों में तथा दोनों लिफाफे एक लिफाफे में बंद) 29.07.15 को अप. 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन अप. 3.30 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदाए उन ऐजेसियों को भी जारी की जा सकती है जो हि. प्र. बिक्री कर विभाग से पंजीकृत नहीं है, अगर उन्हें कार्य अवार्ड होता है तो अवार्ड होने के एक महीने के भीतर हि.प्र. बिक्री विभाग से पंजीकृत करवाना होगा। वे फर्म जिन्होंने निजी संस्थाओं के लिए कार्य किया है को टी.डी.एस. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना ही होगा। निविदाएँ खोलने के पश्चात् 90 दिनों तक वैध होनी चाहिए। अनुबंध एग्रीमेंट के दौरान कोई भी विवाद पैदा होने पर अंततम के.लो.नि.वि. नियमों का पालन किया जाएगा। सशर्त तथा पूर्ण धरोहर राशि रहित निविदाएं रद्द कर दी जाएंगी। यह निविदा आमंत्रण सूचना www.ihbt.res.in तथा www.tenderhome.com पर भी उपलब्ध है।



प्रशासनिक अधिकारी